फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कलाबाई बनाम विपक्षी : श्रीमती राधी व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 158/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी मय विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है बावजुद विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 3 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में मुल पुरूष चम्पा लाल जी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान पुत्र भेरूलाल तथा पत्नी धापुबाई हुए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीया एवं विपक्षीगण सं. 1 व 2 मृतक भेरूलाल जी के वारिस है। यह कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 2 की पैतृक भूमि प्रार्थनाग्रस्त भूमि है। उक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर खातेदारी से अंकित है। यह कि प्रार्थना पत्र की उक्त कलम न. 3 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 1 और 2 की संयुक्त पैतृक संपति होकर उनके मौरूस चम्पालाल के समय से चली आ रही है किन्तु चम्पालाल के वारिस भेरूलाल एवं धापु बाई की मृत्यु के बाद उक्त सम्पूर्ण आराजीयात भेरू लाल की पत्नी राधी बाई (विपक्षी सं. 1) के नाम पर दर्ज हो गयी जबकि उक्त आराजीयात प्रार्थीया (कला बाई) एवं विपक्षी सं. 2 (बदामी बाई) के नाम पर क्रमशः 1/3–1/3 हिस्से से दर्ज होनी चाहिये थी। यह कि वादग्रस्त आराजीयात अकेली विपक्षी सं. 1 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित हो जाने से विपक्षी अन्य व्यक्तियों को रहन बह बक्शीश आदि तरिके से हस्तानतरित करने पर आमादा है जिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। विपक्षीगण अनुपस्थित है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा वा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि बताया है प्रार्थनाग्रस्त भूमि की खातेदार विपक्षी संख्या 1 को अपनी माता बताया है। द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत सजरे व अन्य किसी भी प्रकार से प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है या नहीं उक्त बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:49:46 IST
Reason: SelfAttested

नाम दर्ज है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया को हि
निहित है। अतः अगर प्रार्थनाग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तान्तरण होता है जिस
प्रकरण में कानूनी पैचिदगीया बढेगी जिससे विपक्षी को पाबन्द किया जाना उचित प्रती
होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अ
बिन्दुओं को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्ट
मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भ
प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामल
सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किये जाने
प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार यो
पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2050–53 की खाता संख्या नया 522 की आराजी नम्बर 2061, 2395, 2683, 2961/1, 2961/2, 2969 किता 6 रकबा 11 बिघा 5 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:49:46 IST
Reason: SelfAttested